



दि प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिल
(भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)

THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL

(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ संख्या.: प्लेक्स/ सीआईआर /657

01/10/2024

प्रति,
प्लेक्सकौन्सिल के सभी सदस्य/
सीओए सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया,

सबसे ज़रूरी और महत्वपूर्ण

विषय: बिस्फेनॉल ए (बीपीए) और बिस्फेनॉल डेरिवेटिव-इनपुट के उपयोग पर यूरोपीय संघ के मसौदा आयोग विनियमन।

प्रिय सदस्यों,

यह नवंबर 2024 में होने वाली आगामी डब्ल्यूटीओ टीबीटी समिति की बैठक के संदर्भ में है। ये बैठकें सदस्य देशों को अन्य देशों द्वारा अधिसूचित टीबीटी उपायों और हमारे व्यापार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने के संबंध में अपनी चिंताओं को उठाने का अवसर देती हैं।

आगामी डब्ल्यूटीओ टीबीटी समिति की बैठक की तैयारी के लिए, वाणिज्य विभाग ने डब्ल्यूटीओ को अधिसूचित अन्य देशों की अधिसूचनाओं की समीक्षा की है और पाया है कि यूरोपीय संघ द्वारा डब्ल्यूटीओ को प्रस्तुत की गई निम्नलिखित अधिसूचना **प्लेक्सकौन्सिल के सदस्यों** के लिए रुचिकर हो सकती है। अधिसूचनाओं का विवरण निम्नलिखित लिंक पर पाया जा सकता है: [G/TBT/N/EU/1072](https://g/tbt/n/eu/1072)

इस अधिसूचना का सैपशॉट नीचे संलग्न है: -

अधिसूचना का विवरण और उद्देश्य: खाद्य पदार्थों के संपर्क में आने वाली कुछ सामग्रियों और वस्तुओं में विशिष्ट खतरनाक गुणों के लिए सामंजस्यपूर्ण वर्गीकरण के साथ बिस्फेनॉल ए (बीपीए) और अन्य बिस्फेनॉल और बिस्फेनॉल व्युत्पन्न के उपयोग पर मसौदा आयोग विनियमन, विनियमन (ईयू) संख्या 10/2011 को संशोधित करना और विनियमन (ईयू) 2018/213 को निरस्त करना।

यह विनियमन उन खाद्य संपर्क सामग्रियों और वस्तुओं के निर्माण में बिस्फेनॉल ए (बीपीए) के उपयोग को प्रतिबंधित करता है, जिनमें यह एक घटक हो सकता है, जिसमें चिपकने वाले पदार्थ, रबर, आयन-एक्सचेंज रेजिन, प्लास्टिक, मुद्रण स्याही, सिलिकॉन और वार्निश और कोटिंग्स शामिल हैं।

कवर किए गए उत्पाद: खाद्य कंटेनर और पैकेजिंग सामग्री जहां तक वे मसौदा विनियमन के दायरे में आते हैं (विशेष रूप से लैक्केड मेटल पैकेजिंग);

एचएस कोड 39 (प्लास्टिक और उससे बनी वस्तुएं) और 40 (रबर और उससे बनी वस्तुएं) जहां तक सामग्री मसौदा विनियमन के दायरे में आती है (उदाहरण के लिए *3924 10 00*);

तैयार खाद्य पदार्थ जहां तक वे मसौदा विनियमन के दायरे में आने वाली सामग्री और वस्तुओं में पैक किए गए हैं।

4) प्रासंगिक तिथियां: डब्ल्यूटीओ को अधिसूचना की तिथि: 27 जून 2024

अपनाने की तिथि: नवंबर 2024 (अनुमानित)

अनुरोध है कि विनियमन की जांच की जाए और नवंबर 2024 में होने वाली आगामी टीबीटी समिति की बैठक में इस मामले के बारे में कोई विशिष्ट व्यापार चिंता (एसटीसी) उठाई जाए तो इनपुट/बयान उपलब्ध कराए जाएं।

कृपया इसे बहुत जल्दी समझें और ईओडी तक जवाब दें।

सादर

प्लेक्सकॉन्सिल टीम